# न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2021 / 43

श्रीमती अनवरी बैगम पत्नी महराज खां, जाति मुसलमान, आयु करीब 53 वर्ष, निवासी मकान नंबर 2239, छोटे पार्क, रास्ता चौकडी तोपखाना हजूरी, जयपुर।

–वादीनी

बनाम

1. इमामुद्दीन खां पुत्र मोहम्मद खां
2. बाबू खां पुत्र मोहम्मद खां
3. जमील खां पुत्र गफूर खां
4. हसन खां पुत्र गफूर खां
5. रियाज खां पुत्री अली खां
6. सुल्तान खां पुत्री अली खां
7. फजरू खां पुत्र अली खां
8. गुलफान खां पुत्र अली खां
9. कदीर खां पुत्र अली खां
10. अनीस खां पुत्र अली खां
    समस्त जाति मुसलमान, निवासीयान ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयुपर।
11. अनिता शर्मा पत्नी श्री अवधेश शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नंबर 1154 चम्पावत जी का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर।
12. [illegible] पत्नी श्री कैलाश चन्द मीना, निवासी 2 व 10 दादाबाडी, कोटा, जिला कोटा।
13. [illegible] पत्नी श्री चन्द्रपाल जाट, निवासी शाहपुरा, तहसील डीग, जिला भरतपुर।
14. [illegible] पुत्री श्री प्रहलाद कुमार मीना, [illegible] तहसील करौली, जिला करौली।
15. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

## निर्णय

दिनांकः 14.09.2021

वादीनी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी कृषि भूमि वाकै ग्राम खो नागोरियान, पटवार हल्का खो नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खाता संख्या पुराना 33 नया खाता संख्या 50 के खसरा नंबर 3352 रकबा 0.32 हैक्टेयर में वादिनी अनवरी बैगम का 19/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 अनिता शर्मा का 3/32 हिस्सा, सह खातेदार अली खां का 1/320 हिस्सा है (अली खां का इंतकाल हो जाने से अली खां के पुत्रान प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 पक्षकारान् मुकदमा है) प्रतिवादी संख्या 1 इमामुद्दीन का हिस्सा 1/320 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जमील खां का 1/800 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 प्रेमलता का 87/320 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 बाबू खां का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 रमा सिंह का 3/3200 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 हसन. खां का 3/3200 हिस्सा बरूये राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। इसी प्रकार आराजी कृषि भूमि पुराना खाता संख्या 797 नया खाता संख्या 824 के खसरा नंबर 3366 रकबा 0.20 हैक्टेयर में वादिनी अनवरी बैगम का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 अनीस खां का 67/6000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 इमामुद्दीन का 133/1000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 कदीर खां का 67/6000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 गुलफान खां का 67/6000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 चन्द्रिका का 333/1000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जमील खां का 67/3000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 फजरू खां का 67/6000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 रमा सिंह का 67/3000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 रियाज खां का 67/6000 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 सुल्तान खां का 67/6000 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 हसन खां का 67/3000 हिस्सा बरूये राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारों की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका अभी तक पक्षकारों के मध्य कानूनन बंटवारा नही हुआ है एवं संयुक्त रूप से मनबट से शामलाती में उपभोग उपभोग करते आये है। कानूनन जब तक वादग्रस्त भूमि का बॅटवारा हो जाता, प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सह खातेदारान् का समान हक, हिस्सा व अधिकार होता है कोई भी सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

काश्तकार बिना बॅटवारा, विशिष्ठ भू–भाग को अपनी कह कर संबोधित नही कर सकता और ना ही विशिष्ठ भू भाग का बेचान कर सकता है। वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार अधिक हो जाने से आपस में लड़ाई झगडा शुरू हो गया है तथा शामलाती उपयोग उपभोग करना संभव नही हो रहा है। प्रतिवादीगण काश्तकार खातेदार, बिना विधिक तकासमा हुये ही मनबट से काबिज काश्त हिस्सों को बेचान करने की गरज से, खरीददारों को सौदा करने की गरज से दिखाते है तथा ऐसे सम्व्यवहार से पक्षकारो के साम्पत्तिक व कानूनी अधिकारों में कुठारघात होगा व विवादों की बहुलता बढ़ेगी। इसलिए कानूनन तकासमा मीट्स व बाउण्ड्स कराने के अधिकारी है। कानूनन किसी भी सह काश्तकार खातेदार को ना तो विशिष्ठ भू भाग को बेचान करने और ना ही बिना बॅटवारा हुए अवैध निर्माण करने या कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन कराने का हक अधिकार प्राप्त है। अतः वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित कराने के अधिकारी है। वादिनी को वाद मूल दिनांक 15.03.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी भूमि का बिना विधिक तकासमा हुये अवैध रूप से बाला बाला विक्रय करने की गरज से खरीददारों को मौके पर लाकर दिखाने का मौलभाव करने लगे, जिस पर वादिनी ने प्रतिवादीगण को बिना तकासमा करवाये संयुक्त आराजी भूमि का बेचान करने का विरोध किया तो, बिना तकासमा के आराजी भूमि को बेचान व हस्तान्तरण करने की एलानियां धमकी देने से, उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद, वादिनी, विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 डिक्री किया जाकर, वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 3352 रकबा 0.3200 हैक्टेयर में वादिनी अनवरी बैगम का हिस्सा 19/32 एवम् आराजी भूमि खसरा नंबर 3336 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में वादिनी अनवरी बैगम का हिस्सा 2/5 वाकै ग्राम खो नागोरियान, पटवार हल्का खो नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का वादग्रस्त भूमि के कब्जे को मद्देनजर रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बॅटवारा किया जावे, डिमार्केशन [illegible] अलग अलग लगान कायम किया जाकर खाता [illegible] यिका जावे [illegible] रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा पाबंदित किया जावे कि व आराजी कृषि भूमि [illegible] नंबर 3352 रकबा 0.3200 हैक्टेयर में वादिनी अनवरी बैगम का हिस्सा 19/32 एवं आराजी भूमि खसरा नंबर 3366 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में वादिनी अनवरी बैगम का हिस्सा

(2)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2/5 वाकै ग्राम खो नागोरियान, पटवार हल्का खो नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिनी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा एवं मजाहमत उत्पन्न नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे जिससे कि पक्षकारों के साम्पत्तिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे तथा प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार महोदय को जरिये भी स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे बिना कानूनी रूप से तकासमा हुये, अवैध रूप से किसी प्रकार के हस्तान्तरण का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं करें।

वकील वादी ने दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी, प्रमाणित प्रति जमाबंदी, फोटो प्रति आधार कार्ड पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को ज़रिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 10 से 15 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई थी लेकिन बावजूद तामील उक्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 10 से 15 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभयपक्ष से आपसी सहमति से वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा पेश किया गया है वाद के साथ दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी वाकै ग्राम खो नागोरियान पटवार हल्का खो नागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 50 पुराना 33 व खाता संख्या नया 824 पुराना 797 में वादीया व प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है। जब वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या 9 वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमत है तो वाद में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्ध [illegible] किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसी[illegible] नि[illegible]त किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात [illegible] पुराना 33 के खसरा नंबर 3352 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कु[illegible] रकबा 0.3200 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 824 पुराना 797 के खसरा नंबर 3366 रकबा 0.2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:29 IST
Reason: SelfAttested

(2)

हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री व द्वितीय तहसीलदार सांगानेर को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

14/09/21

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

अनवरी बैगम बनाम इमामुद्दीन वगै.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/43

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती सुमन देवी व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी संख्या 9 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खाता संख्या नया 50 पुराना 33 के खसरा नंबर 3352 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 824 पुराना 797 के खसरा नंबर 3366 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

निज ........................ मुबलिग ............................ बाबत् ..............................................................

........... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ...................................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...................................................... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.09.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ............................

ओहदा ............ सहायक कलक्टर, जयपुर शहर, द्वितीय

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | 00 | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | 00 | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय | | |
| बाबत् इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | 00 | | | |

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:34:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner